रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 1993/ज्येष्ठ 19, 1915
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 1993/JYAISTHA 19, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 138 (पी.एन.) 92—97

नई दिल्ली, 9 जून, 1993

फा.सं. 3/36/93-ई.पी.सी. 310 :—महानिदेशक विदेश व्यापार निर्यात आयात-नीति, 1992–97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993) के पैरा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक, 1992–97, खण्ड 1 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(i) अध्याय 7 में पैरा 112 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"नीति के पैरा 62 अथवा 62क में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उत्पादन कार्यक्रम आधार पर समस्त हकदारी के अंतर्गत अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस भी दिए जाएं जिसके साथ यह भी विकल्प होगा कि वह शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस-धारी को मध्यवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करें या सीधे ही निर्यात करें ।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

सी.के. मोदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 138|(PN)|92—97

New Delhi, the 9th June, 1993

File No. 3|36|93-EPC-310.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export & Import Policy 1992—97 (Revised Edition : March, 1993), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Volume I), 1992—97 (Revised Edition : March, 1993) :—

(i) In Chapter VII following shall be added at the end of the Paragraph 112 :—

"Advance Intermediate Licences may also be granted on production programme basis in accordance with the criteria laid down in Paragraph 62 or 62A of the policy within the overall entitlement, with an option either to supply the intermediate product to a licence-holder under the Duty Exemption Scheme or to export directly."

2. This issues in public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993